न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी रमेश देव, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 61/2023

वादीगण

1. ईश्वरलाल पुत्र चमनाराम
2. रमेश कुमार पुत्र नरसीराम
3. बलवन्त पुत्र जवाहराराम जातियान पुरोहित
4. नारायणसिंह पुत्र नरपतसिंह
5. अर्जुनसिंह पुत्र नरपतसिंह
6. विक्रमसिंह पुत्र नरपतसिंह निवासीयान चाटवाडा तहसील रानीवाडा जिला सांचौर

प्रतिवादीगण

1. प्रभातकुंवर पत्नि जसवन्तसिंह
2. प्रवीणसिंह पुत्र जसवन्तसिंह
3. समुन्द्रसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जातियान राजपूत निवासीयान चाटवाडा तहसील रानीवाडा
4. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा
5. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीगण अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई व प्रवीण विश्नोई।
2. प्रतिवादी संख्या 4 भूमिधारी तहसीलदार।

निर्णय

दिनांक – 13.03.2024

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में वादपत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा चाटवाड़ा तहसील रानीवाड़ा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी की आराजी नवीन खसरा नंबर 1332 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1344/2268 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1345 रकबा 1.71 हैक्टेयर जुमले रकबा 2.15 हैक्टेयर की आई हुई हैं। उक्त विवादीत आराजी में वादी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा, वादी संख्या 2 व 3 का प्रत्येक का 1/20 – 1/20 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 का प्रत्येक का 1/10 – 1/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी का हैं। उक्त वादग्रस्त आराजीयान का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मौके पर कब्जा काश्त की सुविधानुसार काश्त करते आ रहे हैं।

   उक्त वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड व विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने से उक्त सामलाती आराजी का विकास करने में परेशानी आ रही हैं। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उक्त आराजी का आपसी सहमति से कई बार विधिवत बंटवाड़ा करवाने का कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने उक्त आराजी का विधिवत बंटवाड़ा करवाने में आना कानी की। दिनांक 20.08.2023 को वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर आपसी सहमति से रास्ते के बिन्दू को ध्यान में रखकर विधिवत बंटवाड़ा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवाड़ा करवाने से मना कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि हमउ क्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाड़ा नहीं करवायेगे तथा तुमने ज्यादा किया तो हम तुम्हें तुम्हारे कब्जे काश्त की आराजी से लाठी के बल पर बैदखल कर देंगे तथा उक्त आराजी को बिना बंटवाड़ा करवाये ही अन्य क्रेता को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2024.03.27 15:37:10 IST
Reason: SelfAttested

बैचान कर देंगे तथा अजनबी क्रेता के नाम म्युटेशन भी स्वीकृत करवा देंगे। इसलिए वादीगण वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर रास्ते के बिन्दू को ध्यान में रखकर बंटवाड़ा करवा कर अपना हिस्सा अलग बंटवाड़ा में प्राप्त करने का अधिकारी होने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अवैध व गैर कानूनी कृत्यों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रूकवाने का अधिकारी होने से वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह दावा बाबत बंटवाड़ा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश हैं।

वादीगण की वादपत्र में इस्तदुआ है कि मौजा चाटवाड़ा तहसील रानीवाड़ा में स्थित आराजी नवीन खसरा नंबर 1332 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1344/2268 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1345 रकबा 1.71 हैक्टेयर जुमले रकबा 2.15 हैक्टेयर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर व रास्ते के बिन्दू को ध्यान में रखकर बंटवाड़ा कर वादी संख्या 1 को 1/10 हिस्सा, वादी संख्या 2 व 3 को प्रत्येक को 1/20 – 1/20 हिस्सा तथा वादी संख्या 4 से 6 को प्रत्येक को 1/10 – 1/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को प्रत्येक को 1/6 – 1/6 हिस्सा आराजी अलग अलग बंट में दी जावे तथा इसी माफिक लगान के निर्धारण व राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेश फरमावे। साथ ही इस आशय की स्थाई प्रतिवादीगण के विरूद्व सादीर फरमाई जावे कि बाद बंटवाड़ा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उपरोक्त वादीगण के बंट की आराजी में वादीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में न तो स्वयं कोई दखल या बाधा पैदा करे तथा न ही किसी अन्य से कोई बाधा या दखल पैदा करावे।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 की ओर से बाद तामिल समन कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
3. दिनांक 15.02.2024 को न्यायालय द्वारा वादीगण अधिवक्ता के निवेदन पर विवादीत आराजी मौजा चाटवाडा, तहसील रानीवाडा के खसरा नम्बर 1332,1344/2268, 1345 रकबा क्रमश 0.39, 0.05, 1.71 हेक्टेयर जूमले रकबा 2.15 हैक्टेयर आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बिच हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार रास्ते की सुविधा देते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तहसीलदार रानीवाडा से पत्रांक/कोर्ट/2024/81 दिनांक 20.02.2024 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2024/145 दिनांक 28.02.2024 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।
4. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । वादीगण के विद्वांन अधिवक्ता को सुना गया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा करने का निवेदन कर सहमति स्वरूप आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये गए। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्न लिखित अनुसार जारी की जाती है।

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा (हैक्टे0 में)	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2024.03.27 15:37:10 IST
Reason: SelfAttested

1.	नारायणसिंह, अर्जुनसिंह, विक्रमसिंह पुत्र नरपतसिंह हिस्सा 3/5 कौम राजपूत, (रहन – नारायणसिंह पुत्र नरपतसिंह हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा) ईश्वरलाल पुत्र चमनाराम हिस्सा 1/5, बलवंत पुत्र जवाहराराम हिस्सा 1/10, रमेशकुमार पुत्र नरसीराम हिस्सा 1/10 कौम पुरोहित सा. देह खातेदार	1332	0.39	0.195	गै.मु. बाडा	आस मानी	–
		1345	1.71	0.88	बा. प्र.		3.52
2.	समुन्द्रसिंह, प्रवीणसिंह पि. जसवंतसिंह, प्रभातकुंवर पत्नी जसवन्तसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	1344/2268	0.05	0.05	गै.मु. बेरा	लाल	–
		1332	0.39	0.195	गै.मु. वाडा		–
		1345	1.71	0.83	बा. प्र.		3.32

5. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीयॉ नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवाडा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक में प्राप्त आराजी के संबंध में एक दुसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–सांचौर

निर्णय आज दिनांक 13.03.2024 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2024.03.27 15:37:10 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी रमेश देव, आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. ईश्वरलाल पुत्र चमनाराम 2. रमेश कुमार पुत्र नरसीराम 3. बलवन्त पुत्र जवाहरराम जातियान पुरोहित 4. नारायणसिंह पुत्र नरपतसिंह 5. अर्जुनसिंह पुत्र नरपतसिंह 6. विक्रमसिंह पुत्र नरपतसिंह निवासीयान चाटवाडा	बनाम	1. प्रभातकुंवर पत्नि जसवन्तसिंह 2. प्रवीणसिंह पुत्र जसवन्तसिंह 3. समुन्द्रसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जातियान राजपूत निवासीयान चाटवाडा तहसील रानीवाडा 4. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 5. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 61/2023

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्नोई व प्रवीण विश्नोई, प्रतिवादी संख्या 4 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी सं0 1 से 3 की ओर कोई उपस्थित नहीं होने एकपक्षीय कार्यवाही की गई। मनजानिव मुद्रायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	नारायणसिंह, अर्जुनसिंह, विक्रमसिंह पुत्र नरपतसिंह हिस्सा 3/5 कौम राजपूत, (रहन – नारायणसिंह पुत्र नरपतसिंह हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा) ईश्वरलाल पुत्र चमनाराम हिस्सा 1/5, बलवंत पुत्र जवाहरराम हिस्सा 1/10, रमेशकुमार पुत्र नरसीराम हिस्सा 1/10 कौम पुरोहित सा. देह खातेदार	1332	0.39	0.195	गै.मु. बाडा	आस मानी	–
		1345	1.71	0.88	बा. प्र.		3.52
2.	समुन्द्रसिंह, प्रवीणसिंह पि. जसवंतसिंह, प्रभातकुंवर पत्नी जसवन्तसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	1344/2268	0.05	0.05	गै.मु. बेरा	लाल	–
		1332	0.39	0.195	गै.मु. वाडा		–
		1345	1.71	0.83	बा. प्र.		3.32

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2024.03.27 15:37:10 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोयॉ नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13.03.2024 को जारी की गई।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–सांचौर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	**मौजाना**	0	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2024.03.27 15:37:10 IST
Reason: SelfAttested